जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

दिसम्बर, 2018 तक 20 हजार रुपए से अधिक राशि के बिजली बिल ऑन लाईन के साथ ही ऑफ लाइन माध्यम से भी जमा हो सकेगें

जयपुर, 26 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा 20 हजार रुपए से अधिक राशि के विद्युत बिलों के ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से अनिवार्य भुगतान करने की बाध्यता में 31 दिसम्बर, 2018 तक शिथिलता दी गई है। पूर्व में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 20 हजार रुपए से अधिक राशि के बिजली बिल ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य था।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि ने बताया कि 20 हजार रुपए से अधिक राशि के विद्युत बिलों के ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आ रही कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 दिसम्बर, 2018 तक वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाइन के साथ ही ऑफ लाइन यथा चैक/डीडी के माध्यम से भी कर सकते है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 829/2018